राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कालूराम बनाम जगदीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	540/2024, 601/2024	
20/11/2025	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली संख्या क्रमश: 601/2024 एवं 540/2024 पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/12/2025 को पेश हो।	
17/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया एवं रेस्पो. संख्या 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों दावा संख्या 183/2023 व 177/2023 समान पृकृति का होने पर इकजाई प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28/05/2024 पारित करते हुए तहसीलदार जयपुर को ग्राम जयपुरियो का बास तहसील-जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 89/176 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.8347 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92/177 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.7967 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 97 रकबा 0.1012 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.8843 हैक्टेयर अन्तर्गत कुर्रेजात प्रस्ताव उभयपक्षों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 183/2023 व 177/2023 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28/05/2024 के विरुद्ध पृथक-पृथक इस न्यायालय के समक्ष अपील संख्या क्रमश: 601/2024 एवं 540/2024 प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की इकजाई रूप से मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की प्रश्नाधीन वाद की पत्रावलीयो का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28/05/2024 को दोनों वादों का समान प्रकृति का होना धारित कर दोनों वादों को हमफिता करते हुये दिनांक 28/05/2024 को सरसरी तौर पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिसम्मत प्रतीत नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये वाद	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कालूराम बनाम जगदीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
540/2024, 601/2024		

में अग्रिम कार्यवाही करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28/05/2024 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये उभयपक्षों की सुनवाई किया जाना सुनिश्चित कर उद्धरित तथ्यों का परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे।तदनुसार दोनों अपीले क्रमश: 601/2024 एवं 540/2024 स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।